उतरांचल राज्य जरिये कलेक्टर, देरादून एवं अन्य

बनाम

अजीत सिंह भोला एवं अन्य

07 मई 2004

{एन. संतोश हेगड़े और बी.पी. सिंह, जे.जे.}

उत्तर प्रदेश आवास मांग अधिनियम, 1947, धारा 3 (1)

विवादित परिसर को गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करने के लिए एक शैक्शणिक संस्थान को पट्टे पर दिया गया- मकान मालिकों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली याचिका दायर की गई- केवल भूतल के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई- जिला मजिस्ट्रेट ने शिविर कार्यालय/आवासीय उद्देश्य के लिए पुलिस महानिदेशक को परिसर आवंटित किया-क्रॉस अपील-संस्थान द्वारा दायर अपील को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। बेदखली की डिक्री का निश्पादन-राज्य द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन किया गया-राज्य ने परिसर की मांग की-रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा निरर्थक के रूप में खारिज कर दी गई- मांग आदेश को चुनौती देते हुये, मकान मालिकों द्वारा रिट याचिका दायर की गई-उच्च

न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें राज्य को या तो परिसर खाली करने या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आगे बढने का निर्देश दिया गया-अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया कि-चूंकि जिला मजिस्ट्रेट ने परिसर का कब्जा हाथो हाथ/मनमाने ढंग से, किसी कानूनी मंजूरी के बिना ले लिया, अतः सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को रद्द करने हेतु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं-भूमि अवासि अधिनियम-भारतीय संविधान 1950- अनुच्छेद 136।

प्रतिवादी-मकान मालकिन और उसके दो बेटों ने प्रश्नगत परिसर को गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग के लिए एक शैक्शणिक संस्थान को परिसर किराए पर दे दिया। बाद में, मकान मालिकों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली याचिका दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने परिसर के हिस्से के संबंध में बेदखली का आदेश परित किया। इसलिए, मकान मालिकों और शैक्शणिक संस्थान द्वारा क्रॅस अपील दायर की गई। हालांकि संस्थान ने अपील वापस ले ली है। इस बीच, जिलाधिकारी ने पुलिस महानिदेशक को कैंप कार्यालय/आवासीय प्रयोजन के लिए परिसर पुलिस महानिदेशक को आवंटित कर दिया था। पारित बेदखली डिक्री के अनुसरण में, मकान मालिकां ने एक आवेदन बेदखली की डिक्री के निश्पादन हेतु प्रस्तुत किया। राज्य ने आपत्तियां दायर की, जिन्हें निश्पादन न्यायालय

द्वारा खारिज किया गया। व्यथित होकर, राज्य ने रिट याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने बेदखली की कार्यवाही के निश्पादन पर रोक लगा दी। हालांकि, संबंधित प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश आवास मांग अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्रश्नगत परिसर की मांग का प्रस्ताव दिया गया और बाद में प्रश्नगत परिसर के संबंध में मांग का आदेश पारित किया गया। मांग आदेश के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया। मकान मालिकों ने मांग आदेश के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की, जिनमें उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर राज्य को या तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आगे बढने या एक सप्ताह के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। इसलिए वर्तमान अपीलें राज्य द्वारा दायर की गयी हैं।

अपीलकर्ता-राज्य द्वारा यह तर्क दिया कि उक्त अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने वस्तुतः रिट याचिका को मंजूरी दे दी है, और चूंकि बेदखली का आदेश केवल भूतल परिसर के संबंध में ही था, इसीलिए शेश हिस्से से राज्य की बेदखली उचित नहीं थी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

यह अभिनिर्धारित किया कि- जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में, पूरे परिसर को कथित तौर पर पुलिस महानिदेशक, उतरांचल के निवास-सह-कार्यालय के लिए राज्य द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। राज्य न तो इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पेश कर पाया है, और ना ही कोई कानून या नियम बता पाया है जो जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी परिसर पर इस तरह के मनमानी तरीके से कब्जा करने के लिए अधिकृत करता है जैसा कि तत्कालीन मामले में किया गया। जिस तरीके से जिला मजिस्ट्रेट ने परिसर पर कब्जा कर लिया, जो कि मनमाना और बिना किसी कानूनी मंजूरी के प्रतीत होता है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपने विवेक का प्रयोग करते हुये रद्द करने और इस तरह एक और अवैध आदेश को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत नहीं है। (631-एफ; 632-ए-बी, डी-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3033/2004.

उतरांचल उच्च न्यायालय, नैनिताल के दिनांक 08.05.2003 के निर्णय एवं आदेश से 2002 रिट याचिका नंबर 217 (एम/बी)

साथ

सी.ए 2004 संख्या 3034/2004

रंजीत कुमार, जी. वेणुगोपाल और श्रीमती डी. भारती रेड्डी अपीलकर्ता की ओर से।

अनिल नौरिया और सुश्री सुमिता हजारिका प्रतिवादियों की ओर से

न्यायालय का निर्णय बी.पी. सिंह जे. द्वारा दिया गया-

विशेष अनुमति स्वीकृत।

इन दोनों अपीलों में, उतरांचल राज्य ने रिट याचिका संख्या 217 (एम/बी) 2002 और 216 (एम/बी) 2002 में उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत रिट याचिकाओं में यहां उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई याचिका के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उतरांचल राज्य को या तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आगे बढने या एक सप्ताह के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। परिसर खाली करने के लिए दी गई समय सीमा न्यायालय द्वारा बढा दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से राज्य व्यथित है। हमारे सामने इसका तर्क यह है कि अंतरिम आदेश से वस्तुतः रिट याचिकाओं पर ही अंतिम निर्णय हो चुका है। हमें सूचित किया गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं अभी भी उच्च न्यायालय के समक्श लंबित है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामलें के तथ्यों को संक्शेप में बताना चाहते हैं कि रिट याचिकाएं अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है और इसलिए, मामले की योग्यता पर कोई भी राय की अभिव्यक्ति पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हालांकि, कुछ आवश्यक तथ्यों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

प्रश्नगत परिसर उत्तरदाताओं का है जिसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून को उनके द्वारा गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग के लिए 07.02.1977 को पट्टे पर दिया गया था। उक्त वाडिया संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, देहरादून का एक स्वायत्त संस्थान है।

शुरूआत में लीज 11 महीने की अवधि के लिए थी, लेकिन बाद में अवधि पांच साल बढा दी गई। वर्श 1993 में, प्रतिवादियों द्वारा वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर बेदखली याचिका दायर की गई थी। उक्त वाद पर 25.04.1995 को आंशिक रूप से फैसला सुनाया गया था और परिसर के एक हिस्से (केवल भूतल) के संबंध में बेदखली का आदेश पारित किया गया था। बेदखली आदेश से व्यथित होकर, वाडिया इंस्टीट्यूट ने आरसीए संख्या 61/95 दायर की, जबकि उत्तरदाताओं ने केवल आंशिक बेदखली के आदेश से व्यथित होकर आरसीए संख्या 70/1995 दायर की। जबकि उक्त अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्श लंबित थी, नैनीताल के

जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त परिसर को नव निर्मित राज्य उतरांचल के पुलिस महानिदेशक के निवास-सह-कार्यालय के लिए कथित आवंटित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोई आवंटन पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, लेकिन जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिश्ठ पुलिस अधीक्शक, देहरादून को दिनांक 07.11.2000 को संबोधित एक पत्र है जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि वाडिया का गेस्ट हाउस संस्थान को अगले आदेश तक कैम्प कार्यालय/ आवासीय प्रयोजन हेतु पुलिस महानिदेशक को आवंटित किया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि 26.11.2000 को पुलिस बल का प्रयोग कर परिसर पर कब्जा कर लिया गया। उक्त तथ्य वाडिया संस्थान द्वारा अपीलीय अदालत को उनके आवेदन दिनांक 01.12.2000 द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 26.11.2000 को पुलिस बल ने पूरी संपत्ति खाली करवा ली और अधिकारियों/कर्मचारियों को संपत्ति से बेदखल कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि 05.02.2001 को वाडिया संस्थान ने अपीलीय अदालत के समक्श एक आवेदन दायर किया कि वह अपनी अपील आगे नहीं बढाना चाहते हैं और अपील वापस लेने की अनुमति मांगी, इस बात पर विवाद है कि क्या वाडिया इंस्टीट्यूट ने मकान मालिक की अपील को भी स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, ऐसी प्रार्थना की गई थी, जिसे अपीलकर्ता ने अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्श अपीलकर्ता की ओर से दायर जवाबी हलफनामे

से ऐसा प्रतीत होता है कि वाडिया संस्थान द्वारा अपीलीय अदालत से ऐसा अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्श प्रस्तुत उनके जवाबी हलफनामें के पैराग्राफ;गपद्ध में यह कहा गया कि- वाडिया संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2001, जो विद्वान जिला जज, देहरादून के समक्श पेश कर कथन किया कि वे अब अपनी किराया नियंत्रण अपील संख्या 61/1995 या अपील नंबर 70/1995 को आगे बढाने में रूचि नहीं रखते है और उस पर उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की। अपीलकर्ता के अनुसार, यह एक शडयंत्रकारी आवेदन था और वाडिया संस्थान और मकान मालिक के बीच मिलीभगत का परिणाम था, जैसा भी हो, वाडिया संस्थान द्वारा की गई अपील को 20 मार्च 2001 को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। क्योंकि कोर्ट का आदेश हमारे सामने नही है, अतः यह स्पश्ट नहीं है कि भूमि मालिक द्वारा की गई अपील को भी अनुमति दी गई है या नही।

पारित बेदखली डिक्री के अनुसरण में, 23.04.2001 को एक आवेदन निश्पादन हेतु दायर किया गया था। अपीलकर्ता-राज्य द्वारा दायर आपत्तियों को 25.01.2002 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर उत्तरांचल राज्य ने एक रिट याचिका दायर की और 30.01.2002 को स्थगन आदेश प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश आवास अधियाचना अधिनियम 1947 की धारा 3(1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रश्नगत परिसर की मांग का प्रस्ताव जारी किया गया था। चूंकि, नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मांग का आदेश 04.04.2002 को पारित किया। हालांकि, अपेक्षित आदेश के मद्देनजर राज्य द्वारा दायर रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए 22.05.2002 को खारिज कर दिया गया था।

मकान मालकिन और उसके दो बेटों की ओर से दो रिट याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें मांग के आदेश के साथ-साथ उस आदेश दिनांक 07.11.2000 को चुनौती दी गई थी, जिसके अनुसार परिसर का कब्जा राज्य द्वारा लिया गया था। उपरोक्त रिट याचिका पर विवादित अंतरिम आदेश 08.05.2003 पारित किया गया था।

उतरांचल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिश्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करके उच्च न्यायालय ने वस्तुतः रिट याचिका को मंजूरी दे दी है। उन्होनें आगे कहा कि किसी भी स्थिति में, बेदखली का आदेश केवल भूतल परिसर से संबंधित है और इसलिए परिसर के शेश हिस्से से राज्य को बेदखल किया जाना उचित नहीं है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देने के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्शेप करने वाला आदेश

पारित करना उचित नहीं मानते है। हम देखते है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 07.11.2000 के तहत उतरांचल राज्य द्वारा पुलिस बल प्रयोग से परिसर पर कब्जा कर लिया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस उद्देश्य के लिए पुलिस बल का उपयोग किया गया था या नहीं। जो तथ्य विवादित नहीं है वह यह है कि उत्तरांचल के पुलिस महानिदेशक के निवास/सह कार्यालय के लिए कथित रूप से पूरे परिसर पर 26.11.2000 को कब्जा कर लिया गया था। चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 07.11.2000 को जारी आदेश हमारे सामने नहीं रखा गया था, इसलिए हमने मामले को स्थगित कर दिया ताकि राज्य के वकील निर्देश प्राप्त कर सकें और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित औपचारिक आदेश हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें और किसी भी कानून या नियम को हमारे ध्यान में लाये जो जिला मजिस्ट्रेट को इस तरीके से परिसर का कब्जा लेने के लिए अधिकृत करता है। राज्य के विद्वान वकील न तो इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत कर पाए है, और ना ही वह कोई कानून या नियम बता पाए है जो जिला मजिस्ट्रेट को उस तरीके से किसी भी परिसर पर कब्जा लेने के लिए अधिकृत करता है जैसा तत्काल मामले में किया गया है। हम वास्तव में आश्चर्यचकित है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इतने कठोर तरीके से कार्य करना चुना। राज्य के वकील ने हमारे सामने स्पश्ट रूप से कहा कि वह इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी भी औपचारिक आदेश को प्रस्तुत करने में असमर्थ है और जो दिनांक

07.11.2000 का पत्र है, जोकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्शक को संचार की प्रकृति में है वह एकमात्र दस्तावेज है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। उन्होनें हमें ऐसा कोई कानून या नियम भी नहीं दिखाया है जो जिला मजिस्ट्रेट को इस तरीके से कब्जा लेने के लिए अधिकृत करता है जैसा तत्काल मामले में किए गया है। हम इस स्तर पर और कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत है कि रिट याचिकाएं अभी भी हाईकोर्ट के समक्श लंबित है। जिस तरीके से जिला मजिस्ट्रेट ने परिसर पर कब्जा कर लिया उसे ध्यान में रखते हुये, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह मनमानीपूर्ण, मनमाना और बिना किसी मंजूरी के है, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि यह न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग कर ऐसे आदेश को रद्द नहीं करेगा जो अवैध प्रतीत होता है, यदि इसका प्रभाव किसी अन्य अवैध आदेश को पुनर्जीवित करना है।

उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अपने विवेक का प्रयोग करने से बचते है और इन अपीलों को खारिज कर देते है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीप्ती श्रीवास्तव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।